(नियम 28)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ

सरस्वतीदेवी आदि बनाम राजेन्द्र व अन्य

किस्म मुकदमाः–251(क) आरटीए प्रकरण संख्याः–79/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.12.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री अजय कुमार ने प्रा.पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण के नाम चक 1 केएसआर–बी के खाता संख्या 35 प0न0 40/346 कि0न0 12 ता 15/1.012 है0, 17/2/0.045 है0, 18–19/0.506, 20/4/0.051, 21/1/0.007 है0 कुल 1.621 है0 नहरी खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण की भूमि में कि0न0 21/0.0070 है0 $8^{1/4}$ फुट गुणा $90^{3/4}$ फुट भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगती है। इस भूमि के अलावा शेष भूमि पर जाने के लिए रास्ता का सम्पर्क नही है। प्रार्थीगण को कठिनाई हो रही है। प्रार्थीगण राष्ट्रीय राजमार्ग से अपनी भूमि में आने के लिए अप्रार्थी सं0 1 की भूमि के कि0न0 22 से अस्थाईरूप से आना जाना करते रहें है। अब अप्रार्थी सं0 1 एवं प्रार्थीगण ने आपसी रजामंदी से अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के कि0न0 22 से $12^{1/4}$ फुट गुणा 25 फुट उत्तरी पश्चिमी कोने की भूमि का विनिमय प्रार्थीगण की भूमि के कि0न0 17 में बराबर की भूमि देकर कर लिया है। जिसका दस्तावेज विनिमय पत्र पंजीकरण करवा लिया है। आवागमन के लिए कम से कम $12^{1/4}$ फुट चौड़ा होना आवश्यक है। प्रार्थीगण अपनी भूमि के सूचारू आवागमन के लिए प0न0 40/346 कि0न0 21 में किले की उत्तरी सीमा पर $12^{1/4}$ फुट चौड़ा व $90^{3/4}$ फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1 की 0.003373 है0 में रास्ता स्वीकृत करने पर प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 को उचित प्रतिफल अदा करने को तैयार है। इसलिये चक 1 केएसआर–बी के प0न0 40/346 कि0न0 21/1/0.0070 है0 ($8^{1/4}$ फुट गुणा $90^{3/4}$ वर्गफुट उत्तरी सीमा) जो प्रार्थीगण के नाम है एवं अप्राथी संख्या 1 के नाम की कि0न0 21/2 में से 0.003373 है0 (4 गुणा $90^{3/4}$वर्गफुट) कि0न0 21/1 के साथ लगतीभूमि को रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें। अप्रार्थी सं0 1 राजेन्द्र ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया उसने प्रार्थी से उचित प्रतिफल प्राप्त कर लिया है। अतः रास्ता प्रतिफल के किसी आदेश के बिना स्वीकृत कर दिया जावे तो कोई ऐतराज नही है। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नक्शा मौका का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबन्दी व नक्शा मौका अनुसार संतरी रंग अप्रार्थी की खातेदारी भूमि एवं स्लेटी रंग प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बैगनी रंग (प्रार्थीगण की भूमि) एवं नीला रंग (अप्रार्थी सं0 1 की भूमि) जिसमें आने जाने हेतु प्रार्थी ने रास्ता स्वीकृत करने की मांग की है। अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वयं बिना प्रतिफल उक्त रास्ता स्वीकृत करने की सहमति प्रकट की है। अतः चक 1 केएसआर–बी के प0न0 40/346 कि0न0 21/1/0.0070 है0 ($8^{1/4}$ फुट गुणा $90^{3/4}$ वर्गफुट उत्तरी सीमा) जो प्रार्थीगण के नाम है एवं अप्राथी संख्या 1 के नाम की कि0न0 21/2 में से 0.003373 है0 (4 गुणा $90^{3/4}$वर्गफुट) कि0न0 21/1 के साथ लगतीभूमि को रास्ता हेतु राजस्व रिकार्ड में स्वीकार किया जाना उचित है। अतःप्रार्थीगण सरस्वती देवी पत्नी अमीलाल जाति जाट साकिन 28 पी0बी0एन0 आदि का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। चक 1 केएसआर–बी के प0न0 40/346 कि0न0 21/1/0.0070 है0 ($8^{1/4}$ फुट गुणा $90^{3/4}$ वर्गफुट उत्तरी सीमा) जो प्रार्थीगण के नाम है एवं अप्राथी संख्या 1 के नाम की कि0न0 21/2 में से 0.003373 है0 (4 गुणा $90^{3/4}$वर्गफुट) कि0न0 21/1 के साथ लगतीभूमि को रास्ता हेतु राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे। तहसीलदार–सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक19.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.27 13:31:53 IST
Reason: SelfAttested